FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

गणपत लाल आदि .... बनाम .... साँवर सिंह वगै०

[नाम] मुकदमा .... दावा अ० धारा 88 RT Act नं. .... 141 .... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10.12.2021	वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– थोई में मय पक्षकारान् के उपस्थित होकर नया वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादी मय पक्षकारान् उपस्थित। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की पहचान श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 ने की। वकील प्रतिवादी श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एडवोकेट ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा मय वकालतनामा के पेश किया। वकील वादी ने वादी साक्ष्य में वादी का मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पचायंत– थोई में आयोजित शिविर में उपस्थित वकुलाय उभय पक्षकारान् एंव उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को ग्राम पंचायत–थोई में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान-- 2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.12.24 11:32:55 IST Reason: SelfAttested 10/12/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड मजिस्ट्रेट (कोर्ट केस) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:– थोई	वादी मय पहिचान 10-12-21 (साँवर सिंह) प्रतिवादीगण की पहचान करता हूं। 10.12.21 रिछपाल सिंह बाजिया (एडवोकेट)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर
राजस्थान कैम्पः— थोई
पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
141/2021	2021/244	10.12.2021	10.12.2021

उनवान

गणपतलाल जाट पुत्र गणेश राम आयु 65 वर्ष, जाति जाट निवासी सालावाली तन् ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम्

1. सावंरसिंह पुत्र गणेशराम आयु 50 वर्ष
2. प्रभातराम पुत्र झूंथाराम आयु 80 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासी सालावाली तन् ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित—

श्री कमल कुमार शर्मा, वादी अभिभाषक।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 3

वादपत्र बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.27 11:52:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 376 कुल रकबा 2.15 हैक्टर तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 526 कुल रकबा 3.68 हैक्टर तन् ग्राम टीकमनगर पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमियों पर वादी अपने दादा भगताराम के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। भगताराम की मृत्यु होने पर वरवक्त विरासत वादी का नाम गणपत पुत्र भगताराम दर्ज हुआ है। वादी के समस्त राजस्व रिकार्ड यथा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में वादी का नाम गणपतलाल जाट पुत्र गणेशराम दर्ज है जो सही व सत्य है। उक्त भूमियॉ वादी के नाम गणपत पुत्र भगता दर्ज है। उक्त भगताराम वादी का बड़ा दादा था जिसकी सम्पत्ति पर उसके जीवनकाल से ही वादी काबिज काश्त रहा है व वर्तमान में भी काबिज है परन्तु वरवक्त भगताराम की विरासत दर्ज होते समय वादी के पिता का नाम गणेशराम के स्थान पर सहवन से भगताराम दर्ज हो गया है जो शुद्ध किया जाना आवश्यक है। गणेशराम के पांच पुत्रियॉ क्रमशः चन्दी देवी, फूली देवी, आंची देवी, बनारसी देवी, सुमन देवी हुई है जो सभी शादीशुदा होकर अपने–अपने ससुराल स्थायी रूप से निवास करती है। उक्त गलत वल्दियत से वादी को सख्त हकतलफी है। राज्य सरकार द्वारा खांतेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से वादी को वंचित रहना पड़ता है। वादी ने उक्त वल्दियत की शुद्धि हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहॉ निवेदन कर शुद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया परन्तु उन्होंने उक्त शुद्धि केवल मात्र वाद प्रस्तुत होने पर ही शुद्धि करने हेतु कहा गया। इस कारण मजबूर होकर वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी की गलत वल्दियत को शुद्ध करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निवेदन किया परन्तु उन्होंने वादपत्र से ही शुद्धि होने बाबत कहने पर यही वादकारण पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:– यह कि घोषणा की जावें कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 376 रकबा 2.15 हैक्टर तन् ग्राम सालावाली व खसरा नम्बर 526 रकबा 3.68 हैक्टर तन् ग्राम टीकमनगर पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में दर्ज गणपत पुत्र भगता के स्थान पर गणपतलाल पुत्र गणेशराम दर्ज कर शुद्धि फरमायी जाकर जरिये डिक्री उक्तानुसार दुरूस्ती फरमायी जाने बाबत उक्त दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-- थोई के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के द्वारा वादी के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.27 11:52:55 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इकबाली जवाब दावा पेश किया गया है। शिविर में उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की पहचान श्री रिछपाल सिंह बाजिया, प्रतिवादीगण वकील के द्वारा की गई। साक्ष्य वादी में वादी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में इकबाली जवाब दावा व मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से वकील वादी एंव उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा वादी के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा व वादी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तथा आज आयोजित शिविर में पक्षकारान् के द्वारा अपनी–अपनी सहमति प्रदान किये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादी अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 आपस में एक ही परिवार से है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि वादी गणपतलाल के पिता का सजरा खानदान के अनुसार गणेशराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम के स्थान पर दूसरे दादा भगताराम का नाम दर्ज हो गया। वादी के समस्त दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पास बुक भारतीय स्टेट बैंक व बड़ौदा राजसीान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , पेंशनर आई.कार्ड, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में पिता का नाम भगताराम नहीं होकर गणेशराम ही दर्ज है। जिसके आधार पर वादी अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 376 कुल रकबा 2.15 हैक्टर तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 526 कुल रकबा 3.68 हैक्टर तन् ग्राम टीकमनगर पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में दर्ज गणपत पुत्र भगता के स्थान पर गणपतलाल पुत्र गणेशराम दर्ज कर शुद्धि फरमाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.27 11:52:55 IST
Reason: SelfAttested

(दलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 376 कुल रकबा 2.15 हैक्टर तन् ग्राम सालावाली पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 526 कुल रकबा 3.68 हैक्टर तन् ग्राम टीकमनगर पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में दर्ज गणपत पुत्र भगता के स्थान पर गणपतलाल पुत्र गणेशराम दर्ज कर शुद्धि फरमाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

10/12/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– थोई

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– थोई के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

10/12/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– थोई

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.27 11:32:55 IST
Reason: SelfAttested